पत्रांकः—ल0लि0मो0—योजना—108 / 18—(पार्ट—2)-890(गो०) पटना, दिनांकः— 06/5/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा (भा.प्र.से.)
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग...........................।

सभी अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अँचल...।

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल.......................................।

विषयः—जल—जीवन—हरियाली अभियान अंतर्गत क्रियान्वित हो रही तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य में तालाबों के Bank पर Paver-Block एवं inlet-outlet का उचित प्रावधान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में दिये गये मार्ग—निर्देश के आलोक में निम्नवत निदेश दिये जाते हैं:—

(i) सामान्यतः तालाबों के प्राक्कलन में तालाबों के मेड पर वृक्षारोपन का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपन में 10 फीट से अधिक ऊँचाई के पेड़ लगाये जाय। स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी से परामर्श प्राप्त कर क्षेत्र विशेष की जैव विविधता के अनुरूप पौधों के किस्म का चयन किया जाय। पौधों के रख—रखाव की उचित व्यवस्था की जाय।

(ii) जो तालाब बसावट के पास अवस्थित हैं उनके बांध पर 5—6 फीट चौड़े Paver-Block Pathways का प्रावधान किया जाय। इसे Additional Item के रूप में समावेशित कर संबंधित एजेंसी से ही कार्यान्वित कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि न्यूनतम आवश्यक मात्रा का ही प्रावधान किया जाये ताकि किसी भी परिस्थिति में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़े।

इस deviation की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करके पूरक एकरारनामा सम्पन्न करके कार्य को कार्यान्वित कराया जाय।

(iii) जो तालाब वसाबट से दूर अवस्थित है उनके Bank की मिट्टी का Compaction कराकर मजबूती प्रदान की जाय। उनमें Paver-Block Pathways नहीं बनाये जाय।

(iv) प्रत्येक तालाब के प्राक्कलन में inlet-outlet का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार उपर्युक्त स्थान पर inlet-outlet की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि तालाब में समुचित मात्रा में जल संग्रहण हो सके एवं स्थानीय किसानों द्वारा पटवन में उसका उपयोग किया जा सके।

(v) यहाँ यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि तालाबों का निर्माण ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहाँ मानसून के दौरान समुचित मात्रा में जल संग्रहण हो सके। यदि कोई भी तालाब ऐसे स्थान पर बना जहाँ जल संग्रहण नहीं होता है तो वह निष्फल व्यय की श्रेणी में माना जायेगा, जिसके खर्च की वसूली संबंधित अभियंता/एजेंसी से की जायेगी।

विश्वासभाजन
08/05/2020
(गोपाल मीणा)
सरकार के अपर सचिव।